अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

विविध वाद संख्या–09 / 2025

बिरसा हंसदा बनाम मुंशी महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

02/07/2025

आवेदक बिरसा हंसदा, पिता–गुरू हंसदा, ग्राम–पुण्डी टोला भुताही, पो0–हेसागढ़ा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ के द्वारा मौजा–बदगाँव, खाता सं0–03, प्लॉट सं0–192, रकवा–6.5 डी0 भूमि, जिसकी जमाबंदी अंचल कार्यालय, माण्डू के पंजी–II के भोल्युम नं0–02, पेज नं0–98 में श्री मुंशी महतो, पिता–श्री कारू महतो के नाम से कायम है कि जमाबंदी Under section 9 of Bihar Board's Misc. Rules 1958 के तहत् रद्द करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

क्र0सं0	मौजा	थाना	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (एकड़ में)
1	बदगाँव	माण्डू	03	192	0.065
				Total-	**0.065**

संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मौजा बदगांव, थाना माण्डु, थाना नं0 163, जिला रामगढ़ के खाता नं0 03 खतियानी भूमि है। उक्त भूमि पर उनके पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ पुराना कुआँ अवस्थित है, जो वर्तमान में जर्जर एवं धंसा हुआ अवस्था में है। खतियान में बड़का मांझी, पिता–सोजा के नाम से दर्ज है। मौजा बदगांव, थाना रामगढ़, जिला रामगढ़ के खाता नं० 03 का कुल रकवा–3.05 एकड़ भूमि है एवं उक्त खतियानी भूमि के प्लॉट सं० 30, 59, 60, 61, 63, 211, रकवा 3.05 एकड़ मध्ये रकवा 6.5 डी० भूमि आवेदक एवं आवेदक के पुर्वज के द्वारा कभी भी बिक्री विपक्षी को नहीं किया गया है। मौजा बदगांव का खाता सं० 03 में प्लॉट सं० 192 की भूमि विपक्षी या अन्य किसी व्यक्ति को आवेदक या आवेदक के पुर्वज द्वारा बिक्री नहीं की गई है। विपक्षीगण का नाम पंजी 2 में 6.5 डी० भूमि पंजी 2 के पेज नं0 98 में अंकित है। इस प्रकार खाता सं० 03 की भूमि को अवैध रूप से जमाबंदी विपक्षी के नाम से कायम की गई है। विपक्षी को मौजा बदगांव के खाता नं0–03 की भूमि पर पंजी 2 में से चल रही जमाबंदी को रद्द करते हुए आवेदक के नाम मालगुजारी निर्धारित कर उचित सलामी सलाना मालगुजारी अदा करने का आदेश पारित किया जाए। मौजा बदगांव, थाना माण्डू, जिला रामगढ़ के खाता सं० 03 कुल रकवा 3.05 एकड़ मध्ये 6.5 डी० भूमि पर जमाबंदी विपक्षी अवैध रूप से जालसाजी कर खोलवा लिए है। उनके नाम से खाता सं० 03, रकवा 6.5 डी० भूमि का जमाबंदी पंजी 2 के पेज नं0 98 में विपक्षी का नाम दर्ज है जो जाली एवं बनावटी दस्तावेज के आधार पर कायम की गई है। विपक्षी या विपक्षी के पूर्वज खाता नं० 03 रकवा 6.5 डी० भूमि पर उनलोगों को किसी तरह हक अधिकार या स्वत्व नहीं है,

आवेदक या आवेदक के पूर्वज उक्त खाता की भूमि को कभी भी विपक्षी के पास बिक्री नहीं किए है। विपक्षी जाली दस्तावेज बना कर गलत तथ्यों के आधार प्रश्नगत् भूमि का जमाबंदी खोलवा लिए है, जो खारिज करने योग्य है। हाल सर्वे में प्रश्नगत खाता नं0 03, कुल रकवा 3 एकड़ 05 डी०, मध्ये 6.5 डी० भूमि का प्रारंभिक पर्चा विपक्षी के नाम से नहीं बनना इस बात का प्रतीक है कि विपक्षी के पास प्रश्नगत भूमि के बावत किसी प्रकार का वैध कागजात नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि विपक्षी के नाम से पंजी 2 में चल रही जमाबंदी अवैध है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौजा–बदगांव के खाता सं0–03, रकवा–6.5 डी0 भूमि पर जमाबंदी पंजी–II के पेज सं0–98 में विपक्षी के नाम से चल रही जमाबंदी को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष नोटिस तामिला होने के बावजूद अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए।

अंचल अधिकारी, माण्डू ने पत्रांक–845, दिनांक–12.06.2025 के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि विविध वाद सं0–09/2025 बिरसा हंसदा बनाम मुंशी महतो वगै0 से संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा बदगाँव, थाना सं0–163 के खाता सं0–03, प्लॉट सं0–30, 59, 60, 61, 63, 211, कुल रकवा–3.05 ए0 भूमि सर्वे खतियान में बड़का मांझी, पिता–शौजा कौम शौताल रैयती दर्ज है, जिसकी जमाबंदी ऑफलाईन में कायम नहीं है। ऑनलाईन पंजी–II के पृ0 सं0–98/II की जमाबंदी विपक्षी मुंशी महतो, पिता–कारू महतो के नाम से रकवा–0.065 ए0 का जमाबंदी कायम है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, माण्डू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा बदगाँव, थाना सं0–163 के खाता सं0–03, प्लॉट सं0–30, 59, 60, 61, 63, 211, कुल रकवा–3.05 ए0 भूमि सर्वे खतियान में बड़का मांझी, पिता–शौजा कौम शौताल रैयती दर्ज है, जिसकी जमाबंदी ऑफलाईन में कायम नहीं है। ऑनलाईन पंजी–II के पृ0 सं0–98/II की जमाबंदी विपक्षी मुंशी महतो, पिता–कारू महतो के नाम से रकवा–0.065 ए0 का जमाबंदी कायम है। अंचल अधिकारी, माण्डू के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा बदगाँव, थाना सं0–163 के खाता सं0–03, प्लॉट सं0–30, 59, 60, 61, 63, 211, कुल रकवा–3.05 ए0 भूमि सर्वे खतियान में बड़का मांझी, पिता–शौजा कौम शौताल रैयती दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है। उक्त भूमि बिना उपायुक्त के परमिशन से किसी को हस्तांतरित नहीं हो सकती। साथ ही आदिवासी भूमि की जमाबंदी बिना उपायुक्त के परमिशन से कायम नहीं हो सकती। अतः उक्त के आलोक में उपरोक्त जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य एवं अंचल अधिकारी, माण्डू से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मौजा बदगाँव के खाता सं0—03 का ऑनलाईन पंजी—II के पृ0 सं0—98/II पर कायम जमांबदी को रद्द करते हुए आवेदक के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। पारित आदेश की प्रति अनुपालनार्थ अंचल अधिकारी, माण्डू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by Kumari Geetanjali
Date: 2025.08.18 14:51:05 +05:30
Location: 10.76.5.197